इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]　　　　भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 मार्च 2013—चैत्र 8, शक 1935

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.

(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.

(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2013

क्र. एफ-1-65-2005-अ-ग्यारह.—मध्यप्रदेश भागीदारी (फर्मों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 1951 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 के 9) की धारा 71 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है. उक्त अधिनियम की धारा 71 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित ऐसे समस्त

व्यक्तियों जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिवस का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

ऐसी किसी भी आपत्ति या सुझाव पर जो कि उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल में कार्यालयीन समय में प्राप्त हों, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में, नियम 19 में खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए,—

"(एक) अधिकतम फीस—अधिकतम फीस निम्नवत उद्गृहीत होगी:—

दस्तावेज या कृत्य जिसके विषय में फीस देय है (1)	अधिकतम फीस (2)
धारा 58 के अधीन विवरण	पांच सौ उन्यासी रुपये
धारा 60 के अधीन विवरण	एक सौ सोलह रुपये
धारा 61 के अधीन प्रज्ञापन	एक सौ सोलह रुपये
धारा 62 के अधीन प्रज्ञापन	अठ्ठावन रुपये
धारा 63 के अधीन सूचना	एक सौ सोलह रुपये
धारा 64 के अधीन आवेदन	अठ्ठावन रुपये
धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन फर्म्स के रजिस्टर का निरीक्षण	अट्ठाईस रुपये
धारा 66 की उपधारा (2) के अधीन फर्म्स के संबंध में दस्तावेजों का निरीक्षण.	अट्ठाईस रुपये
धारा 67 के अधीन प्रतिलिपियां	तेरह रुपये (प्रत्येक सौ शब्द या उसके भाग के लिए)

NOTICE

No. F-1-65-2005-A-11.—The following draft of amendment of the Madhya Pradesh Partnership (Registration of Firm) Rules, 1951, which the State Government propose to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 71 of the Indian Partnership Act, 1932 (No. 9 of 1932), is hereby published as required by sub-section (3) of Section 71 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken in to consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Additional Chief Secretary, Commerce, Industry and Employment Department, Mantralaya Vallabha Bhawan, Bhopal during office hours from any person with respect to the said draft before the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, for rule 19 for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:—

"(i) Maximum Fees—The Maximum fees shall be levied as under :—

Document or act in respect of which the fee is payable (1)	Maximum Fee (2)
Statement Under Section 58	Five hundred seventy nine Rupees

(1)	(2)
Statement Under Section 60	One hundred sixteen Rupees
Intimation Under Section 61	One hundred sixteen Rupees
Intimation Under Section 62	Fifty eight Rupees
Notice Under Section 63	One hundred sixteen Rupees
Application Under Section 64	Fifty eight Rupees
Inspection of the Register of Firms Under sub-section (1) of Section 66.	Twenty eight Rupees
Inspection of documents relating to a firm Under sub-section (2) of Section 66.	Twenty eight Rupees
Copies Under Section 67	Thirteen Rupees (For each hundred words or part thereof)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. रफीक खान, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.